न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 26/2017

शीर्षक

1. रामस्वरूप पुत्र घीसा लाल जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्र प्रस्थ कॉलोनी तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र घीसालाल जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्र प्रस्थ कॉलोनी तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

3. अरविन्द कुमार पुत्र घीसालाल जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्र प्रस्थ कॉलोनी तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 25-11-22

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता सं0 441 हाल ख0 न0 154/1/ रकबा 0.19, 156/1 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 रकबा 0.35 है0 तथा खाता सं0 442 के ख0 न0 1346/0.02 वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जयपुर में सिति है जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज हाल है।

2. यह कि वाद अधीन मुतवादिया बाबत सहखातेदार आये दिन सीमा विवाद डोल विवाद व विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने की धमकी देते है तथा विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने की धमकी देते है तथा विशिष्ट भू–भाग को अन्तरण कर कब्जा दीगर लठैत व्यक्ति का करवाने की मंशा रखते है जिस कारण शामिल में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है।

3. यह दिनांक 10.01.2006 को वादी अपने खेत पर काम कर रहा था कि अचानक प्रतिवादी सं0 1 अपने साथी 5–7 दीगर लठैत व्यक्ति लेकर वादअधीन मुतवादिया पर जबरिया घुस आये तथा वाद अधीन मुतवादिया की नाम जोख विशिष्ट भू–भाग की करने लगे तो वादी ने उनसे पूछताछ कर ली कि आप भूमि के विशिष्ट भू–भाग की नाप जोख क्यो कर रहे हो तो प्रतिवादी सं0 1 एकदम भडक गया तथा ऐलानिया धमकी देने लगा कि में इनको भूमि दिखाने लाया हूँ तथा विशिष्ट भू–भाग का यथाशीघ्र अन्तरण करके रहूंगा तथा वादी को उसके हक को उसके हक हिस्से से रूखसत करूगां जिस पर वादी ने विनम्र निवेदन किया कि बिना विधिवत बंटवारा करवाये आप न तो विशिष्ट भू–भाग का बेचान कर सकते हो और ना ही कानूनन अजनबी केता अविभाजित भूमि में प्रवेश भी नहीं कर सकते है इस कारण पहले आपसी सहमति से वाद अधीन मुतवादिया का कानूनी बंटवारा कर लो तो प्रतिवादी सं0 1 और अधिक आग बाबूला होकर नाराज हो गया तथा वादी के साथी आमादा फिसाद हो गया तो आसपास के पडौसी काश्तकार एकत्रित हो गये जिनकी समझाइश से प्रतिवादी व अन्य दीलगर व्यक्ति चले गये मगर जाते जाते ऐलानिया धमकी देकर गये कि आज तो जा रहे है परन्तु येन केन प्रकरेण यथाशीध्र वाद अधीन मुतवादिया का अनतरण विशिष्ट भू–भाग दीगर लठेत व्यक्तियो को कर कब्जा उनका करवाउंगा तथा बाला–बाला विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता तामीरात करेगे तथा वाद अधीन मुतवादिया का किसी भी कीमत पर कानूनी बंटवारा नहीं होने देगे तथा वादी को बेदखल करके रहेगे जिस पर वादी ने तरतीलबी प्रतिवादी सं0 3 से उक्त बाबत बातचीत की तो वह कानूनी बंटवारा हेतु तैयार हो गया परंतु प्रतिवादी सं0 1 बंटवारा हेतु कतई तैयार नहीं है जबकि विशिष्ट भू–भाग के अन्तरण हेतु आमादा है जिस कारण माननीय अदालत हाजा के समक्ष वादी को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ हे।

4. यह कि प्रतिवादी अपने उपरोक्त अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गया तथा वाद अधीन मुतवादिया का बिना कानूनी बंटवारा करवाये विशिष्ट भू–भाग का अन्तरण कर दिया अन्यथा में पुख्ता तामीरात कर लिया या वादी को बेदखल कर दिया तो वादी को नाकाबिले तलाफी होगी तथा वादी के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा तथा वादी को उसके विधिक अधिकारों से महरूम होना पडेगा अर्थात वादी को अपूर्णनीय क्षति कारति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में धनराशि से संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान मे परस्पर मुकदमें बाजी बढेगी।

अन्त में निवेदन किया कि (1) खाता सं0 441 हाल ख0 न0 154/1/ रकबा 0.19, 156/1 रकबा 0.16 है0 कुल किता रकबा 0.35 है0 तथा खाता सं0 442 के ख0 न0 1346/0.02 वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जयपुर का वादी व प्रतिवादी सं0 1 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 3 के मध्य राजस्व रिकाई में दर्ज रिसेनुसार बाईमीटस एण्ड बाउन्डस् (सरस–नरस) के आधार पर रास्ता खाला वगै0 को ध्यान में रखते हुए राजस्व नियमावली के अनसुार कानूनी बंटवारा किये जाने की आज्ञा प्रदान करे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

(2) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव- सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे अथवा उनके नौकर ऐजेन्ट या उत्तराधिकारी वाद अराजी मुतनाजिया ख0न0 154/1, 156/1, 1346 वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में वादी के हिस्से कब्जे काश्त के किसी भी प्रकार की बेजा मजाहमत पैदा नहीं करे ना ही विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा या अन्तरण नहीं करें। पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये। दिनांक 04.04.2018 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार शाहपुरा से दिनांक 14.05.2018 को बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई वकील उभयपक्ष ने बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की। वकील उभयपक्ष की आपत्ति पर पुनः बंटवारा रिपोर्ट मंगवायी गयी। दिनांक 05.09.2018 को बंटवारा रिपोर्ट पुनः प्राप्त हुई। वकीलवादी ने बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति की। दिनांक 22.09.2022 को आपत्ति स्वीकार कर पुनः बंटवारा रिपोर्ट मंगवायी गयी। दिनांक 10.11.2022 को तहसीलदार शाहपुरा से पुनः बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिस पर वकीलप्रतिवादी द्वारा आपत्ति पेश की गयी। आपत्ति पर वकील उभयपक्ष को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वकील प्रतिवादी ने बंटवारा रिपोर्ट आपत्ति संबंध में निवेदन किया की तहसीलदार द्वारा बंटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय हमे सूचना नही दी गयी है। बंटवारा रिपोर्ट गलत तैयार कि गयी है। अतः बंटवारा रिपोर्ट पुनः मंगवायी जावे। वकील वादी ने बंटवारा रिपोर्ट आपत्ति के संबंध में निवेदन किया की बंटवारा रिपोर्ट मौका स्थिति के अनुसार तैयार की गयी है। बंटवारा रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के नियमो के तहत सरस–नरस के आधार पर तैयार की गयी है। वकील प्रतिवादी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित करने की गरज से पेश किए गये है। अतः बंटवारा रिपोर्ट अनुसार प्रकरण को अंतिम डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में पूर्व में कई बार बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रतिवादी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित करने की गरज से प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट सरस–नरस के आधार पर तैयार की गयी है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि खाता सं0 441 हाल ख0 न0 154/1/ रकबा 0.19, 156/1 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 रकबा 0.35 है0 तथा खाता सं0 442 के ख0 न0 1346/0.02 वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जयपुर राज0 के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. अरविन्द्र कुमार पुत्र घीसालाल हि0 सम्पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 154/2/1 रकबा 0.035 व 156/2/1 रकबा 0.053 है0 भूमि रहेगी।

2. मोहन लाल पुत्र घीसालाल हि0 सम्पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 154/1/1 रकबा 0.035 व 156/3/1 रकबा 0.054 है0 भूमि रहेगी।

3. रामस्वरूप पुत्र घीसालाल हि0 सम्पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 154/5/1 रकबा 0.035 व 156/1/1 रकबा 0.053 है0 भूमि रहेगी।

4. (1) अरविन्द कुमार पुत्र घीसालाल हि0 1/3 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 154/3/1 रकबा 0.037 है0 भूमि रहेगी।

(2) मोहनलाल पुत्र पुत्र घीसालाल हि0 1/3 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 154/4/1 रकबा 0.048 है0 भूमि रहेगी।

(3) रामस्वरूप पुत्र घीसालाल हि0 1/3 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 1346 रकबा 0.02 है0 भूमि रहेगी। उक्त तीनो आ.ख.न. शामलाती मे रहेगे।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-11-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 26 / 2017

शीर्षक

1. रामस्वरूप पुत्र घीसा लाल जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्र प्रस्थ कॉलोनी तह. शाहपुरा जिला जयपुर। वादी

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र घीसालाल जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्र प्रस्थ कॉलोनी तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर । प्रतिवादीगण

3. अरविन्द कुमार पुत्र घीसालाल जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्र प्रस्थ कॉलोनी तह. शाहपुरा जिला जयपुर। तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 25-11-2022

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि खाता सं0 441 हाल ख0 न0 154 / 1 / रकबा 0.19, 156 / 1 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 रकबा 0.35 है0 तथा खाता सं0 442 के ख0 न0 1346 / 0.02 वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जयपुर राज0 के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. अरविन्द्र कुमार पुत्र घीसालाल हि0 सम्पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 154 / 2 / 1 रकबा 0.035 व 156 / 2 / 1 रकबा 0.053 है0 भूमि रहेगी।

2. मोहन लाल पुत्र घीसालाल हि0 सम्पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 154 / 1 / 1 रकबा 0.035 व 156 / 3 / 1 रकबा 0.054 है0 भूमि रहेगी।

3. रामस्वरूप पुत्र घीसालाल हि0 सम्पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 154 / 5 / 1 रकबा 0.035 व 156 / 1 / 1 रकबा 0.053 है0 भूमि रहेगी।

4. (1) अरविन्द कुमार पुत्र घीसालाल हि0 1 / 3 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 154 / 3 / 1 रकबा 0.037 है0 भूमि रहेगी।

   (2) मोहनलाल पुत्र पुत्र घीसालाल हि0 1 / 3 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 154 / 4 / 1 रकबा 0.048 है0 भूमि रहेगी।

   (3) रामस्वरूप पुत्र घीसालाल हि0 1 / 3 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार का हिस्सा आ.ख.न. 1346 रकबा 0.02 है0 भूमि रहेगी। उक्त तीनों आ.ख.न. शामलाती में रहेंगे।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण / प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज तारीख 25-11-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	